उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 3518 औस/2012–116 एएस0/96 **दिनांक 12 नवम्बर 2012**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को,कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषयः–वर्ष 2011–2012 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने **लेखा वर्ष 2011–2012 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धो सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है** :–

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/– तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरिक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 13500/– से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनभान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिर्वतन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होने 31 मार्च 2012 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनॉक 31 मार्च 2012 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ आंगणित की जायेगी।
4. दिनॉक 31 मार्च 2012 को वास्तविक औसत परिलब्धियॉ 3500/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 3500/– की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनॉक 31 मार्च 2012 को 30 दिन की परिलब्धियॉ (3500 X 30/30.4= 3453.95) अर्थात रू0 3454/– तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होंगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम

2/–

BONUS

प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2011–2012 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।

6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह राशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

8. कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होने दिनॉक 31 मार्च 2012 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातर कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होने दिनॉक 31 मार्च 2012 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनो अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियॉ रू0 1200/–प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200 x 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकिंत होंगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियो रू 1200/–प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनॉक 31 मार्च 2012 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनॉक 30 अप्रैल 2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।

10. वर्ष 2011–2012 हेतु पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय–व्ययक 2012–2013 के नामे डाला जायेगा।

11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होंगी और कारपोरेशन के

........................3/–

Ndl

BONUS

उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2011–2012 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।

कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 3518 (1) औस/2012/तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वाणिज्य)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वितरण) ,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0) के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा एवं प्रशासन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(ए0के0 सिंह),
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

BONUS